भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1009

05 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

नई चिकित्सा शिक्षा सीटों और महाविद्यालयों को मंजूरी

1009. श्री धैर्यशील संभाजीराव माणेः

श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतरावः

श्री सुधीर गुप्ताः

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश भर में शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए 10,650 नई चिकित्सा शिक्षा सीटों और 41 नए चिकित्सा महाविद्यालयों को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में इन नए चिकित्सा महाविद्यालयों और सीटों के आवंटन के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए मानदंडों का ब्यौरा क्या है;

(घ) देश में चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि संस्वीकृत/जारी की गई है;

(ङ) क्या इन संस्थानों को संस्वीकृति प्रदान करते समय आकांक्षी जिलों, पिछड़े या जनजातीय क्षेत्रों पर कोई विशेष ध्यान दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) देश में इन नए चिकित्सा महाविद्यालयों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त अवसंरचना, संकाय और संसाधन सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (च): चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी), राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) अधिनियम, 2019 के प्रावधानों के तहत गठित एक स्वायत्त बोर्ड है जिसने नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने/उनकी प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन आवेदनों पर संगत नियमों के अनुसार कार्रवाई की जा रही है।

एनएमसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में 44 नए मेडिकल कॉलेजों के साथ-साथ 11,732 स्नातक और 3393 स्नातकोत्तर सीटें जोड़ी गई हैं। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

एनएमसी द्वारा तैयार न्यूनतम मानक अपेक्षा (एमएसआर) के विनियमों में, देश के मेडिकल कॉलेजों के सुचारू और प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढाँचा और संसाधन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मानदंड निर्धारित हैं। मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

i. मेडिकल कॉलेज की इमारतों और संबद्ध अस्पतालों को राष्ट्रीय भवन मानकों के अनुरूप होना चाहिए और नियामक और स्थानीय प्राधिकरणों से सभी आवश्यक वैधानिक मंज़ूरी और अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
ii. शैक्षणिक और नैदानिक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षण अस्पतालों में आवश्यक न्यूनतम संख्या में बिस्तर होने चाहिए, जिससे इष्टतम अंतरंग और बहिरंग रोगी देखभाल सुनिश्चित हो सके।
iii. सभी आवश्यक प्री-क्लिनिकल, पैरा-क्लिनिकल और क्लिनिकल विभाग पूरी तरह संचालनरत होने चाहिए, जिनमें आवश्यक प्रयोगशालाएँ, बाह्य रोगी विभाग, ऑपरेटिंग थिएटर, आईसीयू, नैदानिक सुविधाएँ और शिक्षण एवं प्रशिक्षण अवसंरचना (प्री-क्लिनिकल, पैरा-क्लिनिकल और क्लिनिकल) उपलब्ध हों।
iv. स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा को समर्थन देने के लिए व्याख्यान, व्यावहारिक प्रदर्शन, प्रयोगशालाएँ, कौशल प्रयोगशालाएँ और विभाग-विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त स्थान और सुविधाएँ प्रदान की जानी चाहिए।
v. छात्रों को समग्र कल्याण और समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए कॉलेजों को छात्रावास, सामान्य कक्ष, पुस्तकालय, कैफेटेरिया, खेल के मैदान, व्यायामशालाएँ और परामर्श सेवाएँ प्रदान करनी चाहिए।

इसके अलावा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 'मौजूदा ज़िला/रेफ़रल अस्पतालों से जुड़े नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना' के लिए एक केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) संचालित करता है, जिसमें वंचित क्षेत्रों और आकांक्षी ज़िलों को प्राथमिकता दी जाती है, जहाँ कोई सरकारी या निजी मेडिकल कॉलेज नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि साझाकरण व्यवस्था पूर्वोत्तर और विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 90:10 के अनुपात में और अन्य राज्यों के लिए 60:40 के अनुपात में है। इस योजना के तहत, सभी परिकल्पित 157 सरकारी मेडिकल कॉलेजों को 41,332.41 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत के साथ मंजूरी दी जा चुकी है, जिनमें आकांक्षी ज़िलों के 40 कॉलेज और आदिवासी क्षेत्रों के 38 कॉलेज शामिल हैं। राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-II** में दिया गया है।

दिनांक 05.12.2025 के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-I

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के दौरान नए मेडिकल कॉलेजों और जोड़ी गई स्नातक / स्नातकोत्तर सीटों की राज्य-वार जानकारी:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल कॉलेज	स्नातक	स्नातकोत्तर
1.	अंडमान और निकोबार	0	0	13
2.	आंध्र प्रदेश	1	430	119
3.	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
4.	असम	2	325	41
5.	बिहार	3	550	47
6.	चंडीगढ़	0	0	0
7.	छत्तीसगढ	0	250	61
8.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	18
9.	दिल्ली	1	50	47
10.	गोवा	0	0	0
11.	गुजरात	2	375	285
12.	हरियाणा	2	525	72
13.	हिमाचल प्रदेश	0	50	32
14.	जम्मू और कश्मीर	1	379	118
15.	झारखंड	1	200	16
16.	कर्नाटक	1	1550	599
17.	केरल	3	700	97
18.	मध्य प्रदेश	4	525	115
19.	महाराष्ट्र	5	980	418
20.	मणिपुर	0	0	2
21.	मेघालय	1	50	0
22.	मिजोरम	0	0	10
23.	नागालैंड	0	0	0
24.	उड़ीसा	2	300	155
25.	पुदुचेरी	0	43	68
26.	पंजाब	1	200	55
27.	राजस्थान	6	825	112
28.	सिक्किम	0	0	0
29.	तमिलनाडु	1	1050	375
30.	तेलंगाना	1	475	118
31.	त्रिपुरा	0	50	6
32.	उत्तर प्रदेश	3	950	290
33.	उत्तराखंड	0	100	68
34.	पश्चिम बंगाल	3	800	36
कुल		**44**	**11732**	**3393**

दिनांक 05.12.2025 के लिए लोक सभा अतारंकित प्रश्न संख्या 1009 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

अनुलग्नक-II

आकांक्षी और जनजातीय जिलों में सीएसएस के तहत संस्वीकृत मेडिकल कॉलेजों का राज्य-वार विवरण:

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	**आकांक्षी ज़िले**	**जनजातीय जिले**
आंध्र प्रदेश	पडेरू	-
अरुणाचल प्रदेश	-	पापुम पारे
असम	धुबरी	कोकराझार
बिहार	जमुई, पूर्णिया, सीतामढ़ी	जमुई
छत्तीसगढ	कांकेर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव	सरगुजा, कांकेर, कोरबा, महासमुंद, राजनांदगांव
गुजरात	नर्मदा	नर्मदा, नवसारी, पंचमहल
हिमाचल प्रदेश	चंबा	चंबा
जम्मू और कश्मीर	बारामूला, कुपवाड़ा	राजौरी
झारखंड	दुमका, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू	दुमका, पलामू, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम
कर्नाटक	यादगीर	-
लद्दाख	-	लेह
मध्य प्रदेश	खांडवा, राजगढ़, विदिशा, सिंगरौली	मंडला, शहडोल, छिंदवाड़ा, सिंगरौली, रतलाम, खंडवा (पूर्वी निमाड़)
महाराष्ट्र	नंदुरबार	नंदुरबार
मणिपुर	-	छुरछंदपुर
मेघालय	-	पश्चिमी गारो हिल्स
मिजोरम	-	आइजोल
नागालैंड	-	मॉन, कोहिमा
ओडिशा	बलांगीर, कालाहांडी, कोरापुट	मयूरभंज, कोरापुट, कालाहांडी
राजस्थान	बारां, धौलपुर, जैसलमेर, करौली, सिरोही	बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, दौसा
सिक्किम	-	पूर्वी जिला
तमिलनाडु	रामनाथपुरम, विरुधुनगर	-
उत्तर प्रदेश	बहराइच, चंदौली, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र	-
उत्तराखंड	हरिद्वार, उधम सिंह नगर	-
